

न्यायालय—सिविल जज(सीनियर डिवीजन)बॉदा ।

प्रकीर्ण वाद संख्या—49 / 70 / 2019

श्रीमती कमलेश कुमारी बनाम मिथलेश कुमार मिश्रा

01.10.2019

आज यह कैवियट प्रस्तुत हुई। कैविएट में अंकित विवादित संपत्ति के संबंध में कोई वाद अभी तक प्रस्तुत नहीं हुआ है। लिपिक की आख्या के अनुसार कैविएट की मियाद तीन माह पूर्ण हो चुकी है। आज आवेदक की ओर से भी कोई उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र तीन माह अवधि समाप्त होने पर तदनुसार निस्तारित किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जावे।

सिविल जज(सीनियर डिवीजन)बॉदा ।